भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

फरवरी, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी
सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित अनुशंसा का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

   I. पंद्रहवें वित्त आयोग ने सभी तीन स्तरों में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और 28 राज्यों में पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों को 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रूपए अनुदान राशि की सिफारिश की है।

   II. स्थानीय सरकारों के लिए अनुदानों में से अतिरिक्त 70,051 करोड़ रुपये 2021-26 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, जिसमें से ग्रामीण घटक के लिए 4,3,928 करोड़ रुपये है। इसलिए, 2021-26 के दौरान आरएलबी के लिए कुल 2,80,833 करोड़ रूपए है।

III. आयोग ने राज्यों के बीच स्थानीय निकायों के लिए 90:10 के अनुपात में आबादी और क्षेत्र के लिए अनुदान के अन्तरा वितरण को आधार बनाने की सिफारिश की है।

IV. 60% अनुदान पेयजल और स्वच्छता के राष्ट्रीय प्राथमिकता ध्यानाकर्षण क्षेत्रों में सुधार की दिशा में बद्ध अनुदान के रूप में वितरित किया जाएगा। वेतन एवं स्थापना लागत को छोड़कर, ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत महसूस की गई जरूरतों के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा 40% अनुदान अबद्ध होगी और इसका उपयोग किया जा सकता है।

V. राज्यों को संबंधित राज्य वित्त आयोगों को समयबद्ध रूप से गठित करने और सिफारिशों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2024-25 से आरएलबी अनुदानों के जारीकरण से जोड़कर लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है।

VI. वित्तीय वर्ष 2021-22 से आरएलबी अनुदान जारी करने के मापदंड के रूप में अनंतिम और लेखा परीक्षा वार्षिक खातों की उपलब्धता को जोड़कर पंचायत खातों के लेखा के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन लेखा परीक्षा पर जोर दिया गया है।

2. पंचायती राज मंत्रालय ने पहले ही सभी राज्यों के लिए ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन अनुप्रयोगों को शुरू कर दिया है और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए तत्परता में है। पंद्रहवें वित्त आयोग सिफारिशों के संचालन के लिए मसौदा दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं और अपनी सूचना / सुझावों के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ साझा किया गया है।

3. 2020-21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अबद्ध एवं बद्ध अनुदान की पहली किस्त 28 राज्यों को जारी की गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त भी 18 राज्यों को जारी कर दी गई है। अनुवर्ती कार्रवाई उन राज्यों से पूछने के लिए की गई है जिन्होंने पंचायतों को अनुदान हस्तांतरण करने के लिए पंचायतों / स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित नहीं किया है और इसके लिए अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) जमा करने के लिए कहा है।

4. राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक 3 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी जिससे कि राज्य भर में ग्रामीण स्थानीय निकाय स्तर पर स्वयं का स्रोत राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए की जाने वाले अपेक्षित योजनाओं और पहलों की

रूपरेखा तैयार की जा सके ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी अनिवार्य विकासात्मक गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय आत्मनिर्भर और आत्मवलंबी बन सके।

5. वर्ष 2020-21 के लिए संबंधित वार्षिक कार्य योजना की अनुमोदित गतिविधियों के लिए फरवरी, 2021 में 7.578 करोड़ रु. की निधि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के तहत मिजोरम, कर्नाटक, मेघालय और मणिपुर राज्यों को जारी की गई थी।

6. स्वामित्व योजना 24 अप्रैल, 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गृह मालिकों को मालिकाना हक प्रदान के लिए 'हक विलेख' प्रदान करने के लक्ष्य से ड्रोन सर्वेक्षण को ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (आबादी) भूमि के सीमांकन और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पूरे भारत में स्कीम के कवरेज के लिए 15 फरवरी, 2021 को 566.23 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से पांच वर्षों (2020-2025) के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्कीम पर विचार करने के लिए व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। स्कीम पर ऑनबोर्ड करने के लिए नए राज्यों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके साथ आयोजित की गई है। साथ ही, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की नए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, 30,000 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है और 2433 गांवों में सम्पत्ति कार्ड/ हक विलेख जारी किए जा चुके हैं। राज्यों में विभिन्न आईईसी गतिविधियां भी शुरू हुई हैं।

7. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के लिए राज्यों पर सख्ती से जोर दिया है। इस संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज के साथ-साथ पीएफएमएस खातों और ग्राम पंचायत (जीपी) पंजीकरण को बंद करने के लिए राज्यों को सम्पर्क कर रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए, 97% जीपी ने अपनी मंथली बुक बंद कर दी हैं और 96% ग्राम पंचायतों ने अपनी ईयर बुक बंद कर दी हैं। वर्ष 2020-21 के लिए, 76% जीपी ने अपनी मंथली बुक बंद कर दी हैं।

8. राज्यों ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत भुगतान करना भी शुरू कर दिया है। आज की तिथि के अनुसार, 1,05,554 ग्राम पंचायतों ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ई ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से भुगतान शुरू किया है। फरवरी माह में, एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

9. इसके अलावा, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना: मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक अनुप्रयोग - ऑडिट ऑनलाइन शुरू किया है। 24 राज्यों ने 14 वें वित्त आयोग के खातों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर्स (5,474 ऑडिटर पंजीकृत) का पंजीकरण और ऑडिट प्लान (65,304 जीपी) की तैयारी शुरू कर दी है। 23 राज्यों ने जीपी (ऑडिट) उपयोगकर्ता (1,61,132 ऑडिटी) तैयार करना शुरू कर दिए हैं। बारह राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने भी अनुप्रयोग पर टिप्पणियों (2,24,154) को दर्ज किया है। इसके अलावा, नौ राज्यों ने ऑडिट रिपोर्ट (12,756 रिपोर्ट) तैयार की है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

10. केंद्रीय बजट 2021-22 के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित घोषणाओं / पहलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में दिनांक 08.02.2021 को आयोजित की गई थी ताकि मीडिया को स्वामित्व स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में बताया जा सके।

11. भारत की [भारत का अमृत महोत्सव; भारत @ 75] स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12/2/2021 को अपर सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के पंचायती राज विभाग के साथ वीसी बैठक हुई।

12. (i) 12 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वामित्व स्कीम के तहत संपत्ति कार्ड (घरौनी) का ऑनलाइन वितरण (ii) 26 फरवरी, 2021 को शिलांग में मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 'पंचायती राज प्रणाली / एडीसी - विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र को मजबूत बनाने संबंधी विषय पर आउटरीच एवं कार्यक्रम से अवगत कराने के लिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा संबोधन (iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय के सरस अजीविका मेला, नोएडा हाट (26 फरवरी - 14 मार्च 2021) और (iv) 27 फरवरी, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर द इंडिया टॉय फेयर -2021, की सुविधा पंचायत स्तर पर प्रदान करना की ।

13. पंचायती राज मंत्रालय ने 13 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में फैले आईआईटी और एनआईटी सहित 17 राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के वास्तुकला / इंजीनियरिंग संस्थानों के सहयोग से प्रति संस्थान

2 ग्राम पंचायतों के लिए पायलट आधार पर ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना के लिए पहल की है। इस पायलट अध्ययन के लिए संबंधित संस्थान और राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कुल 34 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र इस प्रयास में मंत्रालय के प्रौद्योगिकी भागीदार हैं। उनकी गहन भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

14. स्थानिक योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर के घरेलू सर्वेक्षण पर चर्चा करने हेतु फरवरी माह 2021 में वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) के माध्यम से सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2021 को एनआरएससी की टीम के साथ एक बैठक की गई थी।

15. दिनांक 1 फरवरी, 2021 तक मंत्रालय के पास 30 शिकायतें/ याचिकाएं लंबित थी और 250 (अर्थात 208 ऑनलाइन + 42 वास्तविक) शिकायतें / याचिकाएं फरवरी माह के दौरान प्राप्त हुई थीं। कुल 280 में से (250 फरवरी में प्राप्त + 30 पिछले महीने से आगे ले जायी गई), फरवरी में 250 शिकायतों / याचिकाओं का निपटारा किया गया और 30 शिकायतों को 1 मार्च, 2021 को आगे ले जाया गया।

16. फरवरी, 2020 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 129 ई-फाईलें खोली गईं जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of February, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. Fifteenth Finance Commission (XV FC) has submitted its final report for the period 2021-26 and the same has been accepted by the Government of India. Brief of the recommendation regarding Rural Local Bodies is as mentioned below:

   i. XV FC has recommended Grants Rs. 2,36,805 Crore for the period of 2021-26 to the Rural Local Bodies (RLBs) in all the three tiers and the Traditional bodies of Fifth and Sixth Schedule areas in 28 States.

   ii. Additional Rs. 70,051 Crores out of the Grants for local governments have been earmarked for health sector for (rural & urban) local bodies during 2021-26, out of which the rural component is Rs.43,928 Crore. Therefore, the total award for the RLBs during 2021-26 is Rs.2,80,833 Crore.

iii. The Commission has recommended basing the inter-se distribution of grants for local bodies among the States, on population and area in the ratio of 90:10.

iv. 60% of the Grants would be disbursed as Tied Grants towards improvement in National Priority focus areas of Drinking Water and Sanitation. 40 % of the Grants will be Untied and can be used by the RLBs for felt needs under 29 subjects listed in the Eleventh Schedule, except for salaries and establishment costs.

v. States have been mandated to timely constitute and implement the recommendations of respective State Finance Commissions (SFCs) by compulsorily linking it to the release of RLB Grants from FY 2024-25.

vi. Digitalisation of the Accounts and Online auditing of the Panchayat accounts have been emphasized by linking the availability of provisional and audited annual accounts as the criteria for release of RLB Grants from FY 2021-22.

2. MoPR has already rolled out eGramSwaraj and AuditOnline applications for all States and is in readiness for implementation of the recommendations of XV FC. Draft guidelines towards operationalization of XV FC recommendations have also been prepared and shared with Department ofDrinking Water and Sanitation for their inputs/suggestions.

3. The first installments of XV FC Untied and Tied Grants for 2020-21 have been released to 28 States. Further, second installment of Untied Grant for FY 2020-21 has also been released to 18 States. Follow up action have been carried out towards asking the States which have not transferred Grants to Panchayats/Local Bodies to transfer the Grants to the Panchayats and submit Grant Transfer Certificate (GTC) to the effect.

4. A VC meeting under the chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj with representatives of the States was held on 3rd February 2021 to chalk out plans and initiatives required to be taken for augmentation of Own Source Revenue (OSR) generation at the level of Rural Local Bodies (RLBs) across the States so that the RLBs can become self-

sufficient and self-reliant for carrying out all mandated developmental activities in the rural areas.

5. In February, 2021 funds to the tune of Rs.7.5778 Crore was released under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) scheme to the states of Mizoram, Karnataka, Meghalaya and Manipur for the approved activities of the respective Annual Action Plan for 2020-21.

6. SVAMITVA Scheme was launched on 24th April 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method with the objective to provide the 'record of rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. Expenditure Finance Committee meeting for consideration of the Scheme for implementation during five years (2020-2025) with the financial outlay of Rs.566.23 crores held on 15-Feb-2021 for coverage of the scheme all over India. VCs with new States have been conducted for onboarding on scheme. Also, Survey of India is in process of finalizing and signing of MoU with new States. Furthermore, drone flying has been completed in 30,000 villages and Property Cards/ Title deeds have been issued in 2433 villages. Various IEC activities have also commenced in States.

7. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2019-20, 97% of the GPs have closed their month books and 96% of the Gram Panchayats have closed their year books. For the year 2020-21, 76% GPs have closed their month books.

8. States have also started carrying out payments under XV Finance Commission. As on date, 1,05,554 GPs have initiated payments through eGramSwaraj-PFMS interface under XV FC. In the month of February, training has been provided to officials of NIRD&PR, Hyderabad.

9. Further, strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). 24 State have started registration of Auditors (5,474 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 65,304 GPs) for Auditing 14th Finance Commission accounts. 23 States have started creating GP (Auditee) users (1,61,132 Auditees). Twelve States viz. Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura and Uttar Pradesh have also recorded Observations (2,24,154 observations) on the application. Also, Nine States have generated audit reports (12,756 Reports). Trainings have been provided to State of Assam, Arunachal Pradesh, Rajasthan and Jammu & Kashmir.

10. A Press Conference on Union Budget 2021–22 announcements/ initiatives concerning the Ministry of Panchayati Raj was held in New Delhi on 08.02.2021 to brief the media about the country-wise implementation of SVAMITVA scheme.

11. VC Meeting with State/ UT Department of Panchayati Raj was held under the Chairmanship of Additional Secretary (PR) on 12/2/2021 to discuss activities proposed to be undertaken under the aegis of Ministry of Panchayati Raj to commemorate India's 75 years of Independence [**भारत का अमृत महोत्सव**; India @ 75].

12. The events on (i) Online distribution of property cards (Gharauni) under SVAMITVA Scheme by Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh on 12th

February 2021, (ii) Address by Hon'ble Speaker of Lok Sabha during Outreach and Familiarization of programme for Rural Local Bodies of Meghalaya and other North-Eastern States in Shillong on 26th February, 2021 on the theme 'Panchayati Raj System / ADC – Strengthening Decentralized Democracy, (iii) MoRD's Saras Ajeevika Mela, Noida Haat (26 February – 14 March 2021) and (iv) Inauguration of The India Toy Fair– 2021, on virtual platform, by the Hon'ble Prime Minister on 27th February, 2021 were facilitated to the Panchayat level.

13. MoPR has taken up the initiative for Gram Panchayat Spatial Development Planning on pilot basis for 2 Gram Panchayats (GPs) per Institute, in collaboration with 17 architecture/engineering institutes of National repute, including IITs and NITs, spread across 13 States i.e. Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. A total of 34 GPs have been selected for this pilot study through a consultation process with the respective Institute and the Panchayati Raj Department of the State Government. The National Informatics Centre (NIC) and National Remote Sensing Centre (NRSC) are the technology partners of the Ministry in this endeavour. Their intensive involvement has been ensured.

14. In the month of February, 2021, a meeting through Video Conference (VC) was chaired by the Secretary, Ministry of Panchayati Raj on 16.02.2021 with team of NRSC to discuss GP level household survey under Spatial Planning.

15. There were 30 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st February, 2021 and 250 (i.e. 208 online + 42 physical) grievances/ petitions were received during the month of February. Out of total 280 (250 received in February + 30 carried forward from last month), 250 grievances/petitions were disposed in February and 30 were carried forward as on 1st March, 2021.

16. During February 2020, 129 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****